अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

आपदा प्रबंधन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2006

का.आ. 1619(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि के संबंध में उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कठिनाई उद्‌भूत हुई है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2006 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी और उक्त पांच वर्ष की पदावधि की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको उपाध्यक्ष और सदस्यों ने तारीख 31 मई, 2005 के भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 1/15/2002-डीएम(1)/एनडीएम-3(ए) तारीख 30 मई, 2005 द्वारा गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अपने-अपने पदभार ग्रहण किए हैं।

[फा. सं. 30/9/2005-एनडीएम-III (ए)]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

Disaster Management (Removal of Difficulties) Order, 2006

S.O. 1619(E).—Whereas a difficulty has arisen in giving effect to the provisions of Sub-section (4) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) in relation to the term of office of the Vice-Chairperson and Members of the National Disaster Management Authority established under Sub-section (1) of Section 3.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 79 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) This order may be called the Disaster Management (Removal of Difficulties) Order, 2006.

(2) It shall come into force at once.

2. For the purposes of Sub-section (4) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the term of office of the Vice-Chairperson and the members shall be for a period of five years and the said five years term shall be computed from the date on which the Vice-Chairperson and the Members entered upon their respective offices of the National Disaster Management Authority constituted *vide* Notification Number 1/15/2002-DM(1)/DNM-III(A) dated the 30th May, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 31st May, 2005.

[F. No. 30/9/2005-NDM-III(A)]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.